

# Vidhyarthi Khel Ratna Award

विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार

GUIDELINES  
दिशा निर्देश



Board of Secondary Education  
Rajasthan, Ajmer

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

## Guidelines for “Vidhyarthi Khel Ratna” Award instituted by Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer

<b>Name</b>	The award will be called as " <b>Board of Secondary Education, Rajasthan Vidhyarthi Khel Ratna Award</b> "
<b>Short Title</b>	" <b>Khel Ratna</b> " (To be inscribed on plaque and written on the citation)
<b>Definition</b>	The award will be given to those students who have contributed significantly in the area of games, sports and athletics at the level of Secondary and Sr. Secondary education as demonstrated by various parameters prescribed by the board and mentioned here under.
<b>Number of the Awards</b>	Only one each year
<b>Value of the Award</b>	The value of Award will be Rs. 51,000/-.
<b>Citation</b>	The awardee will be presented with a citation and/or Plaque after inscribing " <b>Khel Ratna</b> " and the name of awardee.
<b>Presentation of the Award</b>	The award will be presented in annual convocation organised by the board. In case, for any reason, the convocation is not organised a separate date will be notified by the board through various media. Notification will be made through official website of the Board, at least three state Level Newspapers (All

Editions) and through the Director, Secondary Education, Bikaner. The awardee shall have to remain present in person to receive the award. Award shall not be handed over to any other person. Awardee shall be entitled to receive award from BSE office if he/she fails to attend the award ceremony for any reason. In other circumstances the Chairman, BSE, Rajasthan, Ajmer will take decision as deemed suitable.

**Availability of Guidelines and Application Proforma**

A booklet containing the downloadable detailed guidelines and the application proforma will be available on the website. A printed copy of the booklet can be obtained from the Board office (Director, Academic).

**Nodal Officer**

The Director (Academic), Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer will act as the Nodal Officer and shall be responsible for the entire process including inviting applications, their processing and the final award.

**Scope of the Award**

Only those students who have demonstrated the performance in the field of games, sports and athletics at Secondary/ Sr. Secondary level in a school affiliated to the Board of Secondary Education, Ajmer will be eligible. Students from private/ Govt. Schools, both Hindi as well as English medium will be eligible.

### **Parameters of Performance**

The major criterion for the performance will be based on excellence as demonstrated by quality performance. This will be evaluated on the basis of performance/achievements of last 2 years demonstrated at the National and/or International level in the domain of games, sports and athletics. The performance indices will not be limited to those aspects mentioned above and any other parameter worth consideration may be included.

### **Achievements**

Previous Awards and Accolades (Mention details and attach relevant certificates)

### **Personal Statement**

Applicants/ Nominees are required to attach a personal statement not exceeding 200 words describing major contributions as a sports person during the last 2 years of school education.

### **Application/ Nomination**

Desiring students can apply in a prescribed proforma for the award through the Headmaster/Principal of the concerning School. However, nominations from eminent personalities of the concerning specialty of games, sports or athletics will also be considered.

### **Testimonials**

Applicants are required to submit all the testimonials in support of their claim without which no weightage would be given while considering the application for the award.

**Exclusion**

**(A)** Students who have been booked for criminal offence or immoral activities and have been charged for indiscipline will not be considered for the award.

**(B)** The award will not be given to the same person twice.

**Equal Opportunity**

No discrimination will be made based on gender/caste/creed/race or religion while considering the application for the award.

**Reference**

The applicant is required to provide at least Three names of the persons of eminence in the relevant field or public life who can vouch for the credentials of the applicant.

**Selection Process**

The selection of candidate for the award will be based on recommendation of the a high power committee to be constituted by the Chairman, Board of Secondary Education, Ajmer. The committee will look in to the details provided by the applicants and the testimonials attached. A separate confidential verification process will be adopted for authenticity of documents.

**Discretion**

The decision of the committee will be final and no enquiry whatsoever will be entertained by the office in this regard. The Board of Secondary Education, Ajmer reserves the right of not awarding anybody in any year for whatsoever reason/s.

### **Selection Committee**

- (i) Chairman of the selection committee will be Ex-Vice-Chancellor of any of the state funded Universities in Rajasthan or Ex-Chairman, BSER, Ajmer
- (ii) Two senior professors preferably of relevant field of any State University to be nominated by the Chairman, Board of Secondary Education, Ajmer
- (iii) One member of the Board of Management , BSE, Ajmer to be nominated by the Chairman, BSER, Ajmer
- (iv) Two School Teachers in the relevant field to be nominated by the Chairman, BSER, Ajmer
- (v) One school administrator to be nominated by the Chairman, BSER, Ajmer
- (vi) The Secretary of the Board will act as Co-ordinator

### **Pendency of Applications**

Once the award is declared for a particular year the remaining applications will automatically become invalid. Fresh applications will be invited in the subsequent years and those who want to be considered again shall have to apply afresh.

### **Travel**

The awardee and any one member of his/her family will be entitled for the reimbursement of the travel expenses (to and fro) by rail/bus/taxi to the

extent of the cost of TWO II Class AC rail tickets upon producing necessary documents.

**Accommodation** The Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer will arrange suitable accommodation for TWO members during the stay at Ajmer for the award ceremony.

**Cancellation of Award** The Board of Secondary Education, Rajasthan will reserve the right to cancel the award in unforeseen circumstances. In such cases the amount of award along with award certificate and the plaque shall have to be surrendered to the board by the awardee.

**Canvassing** Canvassing or personal recommendation in the matter of award will be considered as a disqualification and can lead to deprivation of award even in deserving cases.

**Domicile** The applicant must be a permanent resident of the state of Rajasthan.

**Application Dateline\***

- (A) Invitation of Applications :  
July 15<sup>th</sup> Every Year
- (B) Last date for receipt of Applications:  
August 14<sup>th</sup> Every Year
- (C) Declaration of Award:  
October, 2<sup>nd</sup> Every Year

**Completed applications should be submitted on or before the last date (up to 4.00 pm) to Director (Academic, Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer.**

\*Change in these dates will be the discretion of the Chairman, BSE, Rajasthan, Ajmer.

## General Instructions

1. The application should be accompanied by photostat copies of all marks sheets, certificates etc. attested by a gazetted officer or self and originals to be produced for verification when asked for.
2. An application form will be rejected if:
  - (a) It is incomplete in any respect, or
  - (b) It is not accompanied by the required certificates and evidence, or
  - (c) Information and documents submitted are incorrect or false in any respect, or
  - (d) It is submitted after the last date
3. For the award, the achievements in the years mentioned in the guidelines only will be considered.
4. As such, all information and certificates for achievements should be submitted for not more than the years mentioned.
5. **ACADEMIC**
  - (a) The appropriate Board/ University/ Institute and Exam should be indicated
  - (b) The information about subjects, marks and percentage should be accurate and should correlate to the mark sheets and certificates attached.
6. **GAMES, SPORTS & ARTS**
  - (a) The information and achievements should pertain only to recognised events and competitions organised by recognised and official bodies and associations at the State or National level.
  - (b) Consideration will be given only, for distinction in actual performance at an event or a competition, not simply selection, or presence at a camp or training programme.
  - (c) Simply inclusion as a member of a team, in team game, may not get any credit in the absence or evidence of actual excellence in the performance.
7. Board is not liable to share any information pertaining to the process of selection by the Board.

**AWARDS CAN NOT BE CLAIMED AS A MATTER OF RIGHT**

---

### Contact

Director (Academic) or Secretary (Co-ordinator)

**Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer**

Phone: 0145-2420597 | Website: [rajeduboard.rajasthan.gov.in](http://rajeduboard.rajasthan.gov.in)



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा संस्थापित  
“विद्यार्थी खेल रत्न” पुरस्कार के दिशा-निर्देश

नाम	इस पुरस्कार को <b>माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान</b> <b>“विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार”</b> कहा जाएगा।
लघु शीर्षक	<b>“खेल रत्न”</b> (पट्टिका पर अंकित और प्रशस्ति पत्र पर अंकित किया जाएगा)
परिभाषा	यह पुरस्कार उन स्कूली विद्यार्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने खेलकूद और एथलेटिक्स के क्षेत्र में बोर्ड द्वारा निर्धारित एवं नीचे उल्लेखित विभिन्न मापदण्डों के आधार पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
पुरस्कार की संख्या	प्रतिवर्ष केवल एक
पुरस्कार राशि	पुरस्कार राशि रु. 51,000/- होगी। (इक्यावन हजार रुपये)
प्रशस्ति पत्र	पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र और/अथवा पट्टिका भेंट की जाएगी जिस पर <b>“विद्यार्थी खेल रत्न”</b> तथा पुरस्कार विजेता का नाम अंकित होगा।
सम्मान अलंकरण समारोह तिथि	यह पुरस्कार बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक दीक्षांत समारोह में दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं होता है तो बोर्ड द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा अलग दिनांक अधिसूचित की जाएगी। अधिसूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, कम से कम तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्र (सारे संस्करण) और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के माध्यम से जारी की जाएगी। पुरस्कार विजेता को पुरस्कार प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपस्थित होना होगा। पुरस्कार

किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश पुरस्कार विजेता पुरस्कार समारोह में उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय से पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अन्य परिस्थितियों में अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

**दिशा-निर्देशों की  
उपलब्धता और  
आवेदन प्रपत्र**

डाउनलोड करने योग्य विस्तृत दिशा निर्देशों से युक्त पुस्तिका तथा आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पुस्तिका की मुद्रित प्रतिलिपि को बोर्ड कार्यालय (निदेशक, अकादमिक) से भी प्राप्त किया जा सकता है।

**नोडल अधिकारी**

निदेशक (अकादमिक), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर नोडल अधिकारी होंगे और वे ही आवेदन आमंत्रण से लेकर उनकी जांच प्रक्रिया और पुरस्कार के अंतिम निर्णय तक की सारी प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होंगे।

**पुरस्कार के लिये योग्यता**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से संबद्ध माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय के केवल वे विद्यार्थी जिन्होंने खेलकूद और एथलेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्शाया है, इस पुरस्कार के पात्र होंगे। हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के निजी और सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी इसके पात्र होंगे।

**उपलब्धि के मापदण्ड**

उपलब्धि का मुख्य मापदण्ड गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्टता पर आधारित होगा। इसका मूल्यांकन पिछले दो सालों के

राष्ट्रीय और या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद और एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रदर्शन/उपलब्धि पर आधारित होगा।

प्रदर्शन सूचक ऊपर उल्लेखित मापदण्डों पर ही सीमित नहीं होगा और अन्य योग्य विचारणीय मापदण्डों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

#### उपलब्धियाँ

पूर्व में प्राप्त पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र (विस्तृत विवरण एवं संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किये जाए)

#### व्यक्तिगत ब्यौरा

आवेदक या नामित विद्यार्थी विद्यालयी शिक्षा के पिछले दो वर्षों में खिलाड़ी के रूप में प्राप्त उपलब्धियों का व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न करें जो 200 शब्दों से अधिक न हो।

#### आवेदन/नामांकन

पुरस्कार के लिए इच्छुक विद्यार्थी संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि संबंधित खेलकूद और एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तित्व द्वारा नामित विद्यार्थियों पर भी विचार किया जाएगा।

#### प्रमाणपत्र

आवेदक के लिए आवश्यक है कि वे अपने दावे के पक्ष में सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, इनके बिना पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

#### वर्जन

आपराधिक आरोप या अनैतिक गतिविधियों में लिप्त विद्यार्थी और ऐसे विद्यार्थी जिन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा हो वे पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। एक ही व्यक्ति को यह पुरस्कार दो बार नहीं दिया जाएगा।

### समान अवसर

पुरस्कार के लिए आवेदन पर विचार करते समय लिंग/जाति/पंथ/वंश या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

### संदर्भव्यक्ति

आवेदक के लिए यह आवश्यक है कि वे सार्वजनिक जीवन या संबंधित क्षेत्र में प्रख्यात कम से कम तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम दें जो आवेदक की योग्यता को सत्यापित कर सकें।

### चयन प्रणाली

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति की सिफारिशों के आधार पर आवेदक का चयन किया जाएगा। समिति आवेदक द्वारा दिये गए विस्तृत विवरण व संलग्न प्रमाण पत्रों पर विचार करेगी। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के लिए अलग गुप्त सत्यापन विधि अपनाई जाएगी।

### विशेषाधिकार

समिति का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ को कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर किसी वर्ष में किसी कारणवश किसी को भी पुरस्कार नहीं देने के लिए अधिकृत होगा।

### चयन समिति

(1) चयन समिति का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय का भूतपूर्व कुलपति, जिसका निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रभावित न हो, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का भूतपूर्व अध्यक्ष होगा।

- (2) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा मनोनीत यथासंभव संबंधित क्षेत्र के किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठ प्रोफेसर।
- (3) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के प्रबंधन बोर्ड का एक सदस्य।
- (4) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा मनोनीत संबंधित क्षेत्र (खेलकूद अथवा एथलेटिक्स) के दो विद्यालयी शिक्षक।
- (5) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा मनोनीत एक विद्यालयी प्रशासक।
- (6) बोर्ड का सचिव इस समिति का समन्वयक होगा।

#### लंबित आवेदन

एक विशेष वर्ष के पुरस्कार घोषित होने के पश्चात् शेष बचे आवेदन स्वतः ही अमान्य हो जाएंगे। बाद के वर्षों में नए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे और जो आवेदक पुनः विचार किये जाने के इच्छुक होंगे उन्हें फिर से आवेदन करना होगा।

#### यात्रा भत्ता

पुरस्कार विजेता और उसके परिवार का कोई एक सदस्य रेल/ बस/टैक्सी (आने व जाने हेतु) से यात्रा खर्च के भुगतान हेतु पात्र होंगे जिसका निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वातानुकूलित रेलवे द्वितीय श्रेणी के दो टिकटों की सीमा तक भुगतान संभव होगा।

### आवास

पुरस्कार समारोह में उपस्थित होने के लिए आने वाले दो सदस्यों के आवास की उचित व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा की जाएगी।

### पुरस्कार निरस्तीकरण

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को अनपेक्षित परिस्थितियों में पुरस्कार निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में पुरस्कार विजेता को पुरस्कार की राशि के साथ पुरस्कार प्रशस्ति पत्र और पट्टिका बोर्ड को सुपुर्द करनी होगी।

### सिफारिश

पुरस्कार के मामले में कोई निजी सिफारिश अयोग्यता मानी जाएगी और योग्य होने पर भी आवेदक को पुरस्कार से वंचित किया जा सकता है।

### स्थायी निवास

आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।

### आवेदन तिथि क्रम\*

(अ) आवेदन आमंत्रण :

15 जुलाई प्रतिवर्ष

(ब) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि

14 अगस्त प्रतिवर्ष

(स) पुरस्कार की घोषणा

2 अक्टूबर प्रतिवर्ष

**निदेशक अकादमिक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर  
को अंतिम तिथि तक ( 4.00 PM ) या  
उससे पूर्व सम्पूर्ण आवेदन पत्र जमा कराना होगा।**

\*इन तिथियों में परिवर्तन अध्यक्ष, मा.शि.बो. राजस्थान, अजमेर के विवेकाधिकार में होगा।

## सामान्य निर्देश

1. आवेदक को सभी अंकतालिकाओं एवं प्रमाणपत्रों आदि की राजपत्रित अधिकारी या स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ आवेदन करना होगा तथा सत्यापन के लिए मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
2. आवेदन प्रपत्र को निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है यदि :-
  - (अ) यह किसी भी रूप में अपूर्ण हो।
  - (ब) इसके साथ वांछित प्रमाणपत्र और दस्तावेज संलग्न न हो।
  - (स) जमा किये गए दस्तावेज या सूचना किसी भी रूप में सही नहीं हो या झूठी हो।
  - (द) यह अंतिम तिथि के पश्चात् जमा कराया गया हो।
3. इस पुरस्कार के लिए दिशा-निर्देशों में वर्णित वर्षों की उपलब्धियों पर ही विचार किया जाएगा।
4. उपलब्धियों की सारी सूचना और प्रमाण पत्र दिये गए वर्षों से अधिक के नहीं होने चाहिए।
5. **शैक्षिक**
  - (अ) उपयुक्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था और परीक्षा को दर्शाना होगा।
  - (ब) विषय, अंक एवं प्रतिशत के संबंध में सूचना पूर्णतया सही होनी चाहिए एवं संलग्न प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं से संबंधित होनी चाहिए।
6. **खेलकूद एवं कला**
  - (अ) सूचना और उपलब्धियाँ राज्य या राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त आधिकारिक निकाय एवं संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतिस्पर्धा से संबंधित होनी चाहिए।
  - (ब) प्रतिस्पर्धा या अन्य क्षेत्र में वास्तविक उपलब्धि पर ही विचार किया जाएगा। केवल चयन या प्रशिक्षण कार्यक्रम या शिविर में उपस्थिति मान्य नहीं होगी।
  - (स) टीम में मात्र सदस्य के रूप में उपस्थिति मान्य नहीं होगी जब तब कि वास्तविक उत्कृष्टता प्रमाणित नहीं हो जाती।
7. बोर्ड चयन की प्रक्रिया के संबंध में किसी भी सूचना को साझा करने हेतु बाध्य नहीं है।

**पुरस्कार का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा।**

### सम्पर्क

निदेशक ( अकादमिक ) अथवा सचिव ( समन्वयक )

**माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर**

दूरभाष: 0145-2420597

वेबसाइट : [rajeduboard.rajasthan.gov.in](http://rajeduboard.rajasthan.gov.in)



## कुल गीत

जयति जयति जयवीर भूमि की महिमा कालजयी  
स्वाभिमान सम्मान ज्ञान की गरिमा जग विजयी  
आदिकाल से अमरमनीषा जिसकी शक्ति प्रदा  
मीरां पदमा पन्ना की धरती सुखदा वरदा  
मानवता के विजय घोष की ये संकल्प धरा  
ख्वाजा पुष्कर की अनुकम्पा भय संताप हरा  
हिमगिरी से सागर पर्यन्ता धरती अविनाशी  
अनुपम प्रेम दया ममता करुणा की विश्वासी  
युवा शक्ति की दिव्य ज्योति से जग आलोकित हो  
जन जन के मानस में मानवता भी समाहित हो  
सिद्धिर्भवति कर्मजा को आलोकित करना है  
हमें माध्यमिक शिक्षा को भी गौरवान्वित करना है